संख्या-72/2016/2490 ई-2/तेरह-2016-216/90

प्रेषक,

विनोद कुमार तिवारी,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

आबकारी आयुक्त,
उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

आबकारी अनुभाग-2 लखनऊ: दिनांक 07 दिसम्बर,2016

विषय:-मेसर्स रेडिको खेतान लि0, रामपुर को अल्कोहल वर्ष 2016-17 में ग्रेन ई0एन0ए0, मैच्योर्ड माल्ट स्प्रिट एवं ई0एन0ए0 का देश के बाहर निर्यात करने की अनुमति के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-जी-23/नौ-2013-14/अ0नि0/692/देश के बाहर, दिनांक 20 अक्टूबर,2016, पत्र संख्या-जी-24/नौ-अल्कोहल/देश के बाहर निर्यात(4)/भा0नि0 वि0म0, दिनांक 24 अक्टूबर,2016 तथा पत्र संख्या-जी-29/नौ-2016-17/अ0नि0/देश के बाहर, दिनांक 11 नवम्बर,2016 का सन्दर्भ ग्रहण करें।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि आपके उक्त संदर्भित पत्रों दिनांक 20 अक्टूबर,2016, 24 अक्टूबर,2016 तथा 11 नवम्बर,2016 में उपलब्ध कराये गये प्रस्तावों एवं की गई संस्तुति पर सम्यक विचारोपरान्त मे0 रेडिको खेतान लि0, जनपद रामपुर को उनकी अधिष्ठापित क्षमता के अन्तर्गत अल्कोहल वर्ष 2016-17 में क्रमश: 20,00,000(बीस लाख) बल्क लीटर ग्रेन ई0एन0ए0, 1,00,000(एक लाख) बल्क लीटर मैच्योर्ड माल्ट स्प्रिट तथा 250,00,000(दो सौ पचास लाख)बल्क लीटर ई0एन0ए0 देश के बाहर निर्यात करने की अनुमति एतद्द्वारा इस प्रतिबन्ध के साथ प्रदान की जाती है कि प्रदेश में शीरा/अल्कोहल की कमी होने पर देश के बाहर ई0एन0ए0/माल्ट स्प्रिट के निर्यात पर रोक लगाये जाने पर आसवक को कोई आपत्ति नहीं होगी।

तद्नुसार आगामी आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,
(विनोद कुमार तिवारी)
अनु सचिव।